कार्यालय अभियन्ता, जिला पंचायत, बिजनौर

;पफार्म टैंडर मय नियमावलीद्ध

प्रपत्रा संख्या नि0का–3 मूल्य टैंडर..............................

जिला पंचायत बिजनौर ठेकेदारों के लिये प्रतिशत दर टैंडर की मद
निर्माण कार्य ....
ठेकेदार का नाम ....

<u>ठेकेदारों के पथ प्रदर्शन के लिये सामान्य नियम और निर्देश</u>

1. ठेके द्वारा निष्पादन के लिये प्रस्तावित सभी निर्माण कार्य टैंडर आमंत्रित करने के रूप में विज्ञापन किये जायेंगे और अपर मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में सूचना पट्टे पर चिपकायें जायेगें जिसपर उक्त अधिकारी के हस्ताक्षर होगें इस प्रपत्रा में किये जाने वाले निर्माण कार्य का वरण और टैंडर प्रस्तुत करनें और खुलनें का दिनांक और निर्माण कार्य सम्पादित करने के लिये अनूमत समय, टैडर के साथ जमा की जाने वाली बयाने की ध्नराशि और सपफल टैंडर देने वाले द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति और बिलों से काटा जाने वाला प्रतिशत यदि कोई हो दिया जायेगा। इस ठेके लेख्य के सैट में प्रस्तावित निर्माण कार्य की ड्राइंग और ब्यौरा, विशिष्टियां निर्माण–कार्य के विभिन्न मदों के परिणामों के अनुसूची और प्रयूक्त किये जाने वाले टैंडर के, जिस पर अपर मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पहचान के लिये हस्ताक्षर किया जायेगा। प्रपत्रा के साथ मुद्रित ठेका शर्तो का प्रपत्रा होगा और उस प्राधिकारी द्वारा अनुमादित होगा जो ठेका देने के लिये सक्षम होगा और अपर मुख्य अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय मे कार्यालय समय जनता के निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगा।
2. यदि टैण्डर किसी पफर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाये तो उस पर पफर्म के प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग–अलग हस्ताक्षर अवश्य किया जाना चाहिये या किसी भागीदार के अनुपस्थित होने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे उस पर हस्ताक्षर करने के लिये मुख्तारनामे का अधिकार हो, उस पर हस्ताक्षर अवश्य किया जाना चाहिए।
3. किसी ऐसे निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे जब किसी पफर्म द्वारा यह निष्पादित किया जाये, किये गए भुगतान के लिये रसीद पर विभिन्न भागीदारों द्वारा अवश्य हस्ताक्षर किया जाना चाहिये, सिवाय जब टैण्डर में ठेकेदार पफर्म के रूप में वर्णित किये गये हों। उस दशा में रसीदों पर पफर्म के लाभ मे किसी एक भागीदार द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा जिन्हे पफर्म के लिये प्रभावी रसीद देने का अधिकार हो, अवश्य हस्ताक्षर किया जाना चाहिये।
4. कोई ठेकेदार जो टैण्डर प्रस्तुत करता है, टैण्डर का नियत प्रपत्रा भरेगा और वह प्रपत्रा के पृष्ठ भाग पर वैकल्पिक प्रस्ताव को जो उस मामले में लागू न हो काट देगा। ऐसे टैण्डर जिनमे टैण्डर आमंत्रित करने की सूचना के प्रपत्रा में विनिर्दिष्ट निर्माण–कार्य में या ऐसे निर्माण करने के लिये अनुमत समय में या जिसमें किसी प्रकार की कोई अन्य शर्त हो उसमें कोई परिवर्तन करना हो या अंग्रेजी में भरे गये हो। उसके साथ विज्ञापित बयाने की ध्नराशि जमा न की गई हो, अस्वीकार कर दिये जायेंगे। टैण्डर पर लिपफापफे के बाहर उस निर्माण–कार्य का नाम जिसके सम्बन्ध मे वे हो लिखा जायेगा।
5. अपर मुख्य अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी या उसका समयक रूप में प्राधिकृत सहायक किन्ही इच्छुक ठेकेदारों की उपस्थिति में जो उस समय उपस्थित हो, टैण्डर खोलेगा और विभिन्न टैण्डरों की ध्नराशि एक उपर्युक्त प्रपत्रा में तुलनात्मक विवरण पत्रा मे दर्ज करेगा। टैण्डर स्वीकार कर लिये जाने की दशा मे उसके साथ भेजे गये बयाने की ध्नराशि के लिये तदुपरान्त ठेकेदार को एक रसीद दी जायेगी। जो तदुपरान्त पहचान के लिये पैरा 1 में उल्लिखित विशिष्टियों और अन्य लेख्यों की प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर करेगा। टैण्डर अस्वीकार कर दिये जाने की दशा में ऐसे अस्वीकार किये गये टैण्डर के साथ भेजे गये बयाने की ध्नराशि तदुपरान्त ठेकेदार को लौटा दी जायेगी।
6. स्वीकृत प्राधिकारी को सभी या किसी टैण्डर को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
7. ठेकेदार द्वारा भुगतान की गयी बयाने की ध्नराशि के लिये किसी लेखाकार या लिपिक की रसीद, अपर मुख्य अधिकारी / विकास अधिकारी को भुगतान करने की अस्वीकृति के रूप में नही मानी जायेगी और ठेकेदार इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उस पर अपर मुख्य अधिकारी / खण्ड विकास द्वारा हस्ताक्षरित रसीद मिल जाये।
8. टैण्डर प्रपत्रा जारी किये जाने के पूर्व ऐसे निर्माण कार्य का ज्ञापन जिसके लिये टैण्डर आमंत्रित किया गया हो अपर मुख्य अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में भरा जायेगा और पूरा किया जायेगा।

निर्माण–कार्य के लिये टैण्डर

मैं / हम एतद् द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत / प्रमुख क्षेत्रा समिति के निम्नलिखित ज्ञापन पत्रा में उल्लिखित निर्माण–कार्य का ऐसे ज्ञापन–पत्रा में निविर्दिष्ट समय के भीतर उसमें उल्लिखित दरो पर इसके पैरां 1 और ठेका की शर्तो के खण्ड–2 में व्यवस्था की गयी हो और ऐसी शर्तो के अनुसार जहां तक प्रायोज्य हो, सभी अन्य प्रकार से निष्पादित करने के लिये टैण्डर देता हूँ। / देते हैं।

;कद्ध सामान्य ब्यौरा–यदि अनेक उप निर्माण–कार्य सम्मिलित
;खद्ध अनुमानित................................पृष्ठ...................................एक पैरा....................................के अनुसार रूप्या
;गद्ध बयाने की ध्नराशि..

निर्माण–कार्य प्रारम्भ करने के लिखित आदेश के दिनांक से कार्य करने के लिये अनुमत समय.......................मास.....................................
....

प्रति

;कद्ध टैण्डर
;खद्ध स्वीकृत

मद–संख्या	निर्माण कार्यकी मद	लगभग संख्या या परिणाम	इकाई	दर ;बद्ध अंको मे रूपया पैसा	दर ;चद्ध शब्दों मे रूपया पैसा

स्वीकृत अनुमानो मे दरो से अधिक / कम प्रतिशत पर टैण्डर देता हूँ / देते है।

या

उपयुक्त दरों पर टैण्डर देता हूँ / देते हैं।

यदि यह टैण्डर स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुमानित ठेका लेख्यो के सेट से संलग्न ठेका की सभी शर्तो और उसके उपबन्धें का पालन करने और उन्हे पूरा करने या उसमें व्यक्तिव्रफम करने पर अध्यक्ष, जिला पंचायत / प्रमुख क्षेत्रा समितियॉ उस मद में उत्तरवर्तियों के प्रति उक्त शर्तो में उल्लिखित ध्नराशि सहमत करने और भुगतान करने के सहमत हूँ / हैं इसके साथ बयाने की ध्नराशि के रूप में

करेन्सी नोट्स में...रूपये की ध्नराशि भेजी जाती है।

जिसका पूरा मूल्य ठेका की शर्तो के खण्ड–विनिर्दिष्ट जमा के कारण बना रहेगा।

ह0 ठेकेदार

दिनांक..200

साक्षी..

पता..

उप जिविका.......................................

जिला पंचायत / क्षेत्रा समिति की ओर से एतद् द्वारा उपयुक्त टैण्डर मेरे द्वारा स्वीकार किया जाता है।

स्वीकृत प्राधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम दिनांक 200

मैं या हम

विकल्प को काट दीजिये और वहॉ पर हस्ताक्षर कर दीजिये।

यहॉ यह ब्यौरा और संख्या दीजिए।

टैण्डर प्रस्तुत करने के पूर्व ठेकेदार का हस्ताक्षर

ठेकेदार के हस्ताक्षर के प्रति साक्षी का हस्ताक्षर

यहॉ पर 'सिपफारिश' 'सिपफारिश नहीं किया है' दर्ज कीजिए और हस्ताक्षर कर दीजिए।